मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4669
21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में अकोले नगर पंचायत को निधि का आवंटन

4669. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के शिरडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अकोले नगर पंचायत एक जनजातीय तालुका है और पिछले एक वर्ष से 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत को कोई निधि आवंटित नहीं की गई है, जिसके कारण जलापूर्ति, अपशिष्ट निपटान के लिए निधि की कमी और अतिरिक्त मशीनरी की खरीद में निरंतर समस्याएँ बनी हुई हैं, जबकि इन उद्देश्यों के लिए निधि आवंटन देय है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत इसी प्रकार की निधि की कमी के कारण उक्त पंचायत में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त सभी कार्यों के लिए इस पंचायत को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में जनप्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ग): 15वें वित्त आयोग (15वें एफसी) ने 2021-22 से 2025-26 के अवार्ड पीरियड के लिए अपनी सिफारिश में, अन्य बातों के साथ-साथ, शहरी क्षेत्रों की दो व्यापक श्रेणियों, अर्थात् 10 लाख से अधिक आबादी वाले मिलियन-प्लस सिटीज (एमपीसी) और 10 लाख से कम आबादी वाले नॉन-मिलियन प्लस सिटीज (एनएमपीसी) के लिए अनुदानों की सिफारिश की है। अकोले नगर पंचायत

नॉन-मिलियन प्लस सिटीज की श्रेणी में आता है। नॉन-मिलियन प्लस सिटीज को दो प्रकार के अनुदान जारी किए जाते हैं, अर्थात् प्रयोजन सहित और प्रयोजन-मुक्त अनुदान। प्रयोजन सहित अनुदानों का उपयोग एनएमपीसी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) सहित जल आपूर्ति और स्वच्छता के सुधार के लिए किया जाना है, जो जन स्वास्थ्य का हिस्सा हैं, इनका आवंटन जल आपूर्ति और एसडब्ल्यूएम सहित स्वच्छता के लिए 50:50 के अनुपात में किया जाता है। प्रयोजन-मुक्त का उपयोग एनएमपीसी द्वारा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निहित 18 विषयों के अंतर्गत उनकी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना है, जिसमें वेतन और अन्य स्थापना लागतें शामिल नहीं हैं। एनएमपीसी के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान राज्य सरकार को एक वित्तीय वर्ष के लिए दो समान किस्तों में संवितरित किए जाते हैं, जो आगे एनएमपीसी में यूएलबी को जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में या राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार अनुदान आवंटित करती है। महाराष्ट्र राज्य सरकार वित्त वर्ष 2023-24 की पहली किस्त तक ही एनएमपीसी अनुदान (प्रयोजन सहित और प्रयोजन मुक्त) का दावा कर पाई है। 15वें वित्त आयोग द्वारा महाराष्ट्र राज्य को अनुशंसित शहरी स्थानीय निकाय अनुदानों की स्थिति अनुलग्नक में दर्शाई गई है।

सरकार ने एक ऑनलाइन अनुदान प्रबंधन पोर्टल (cityfinance.in) तैयार करके और राज्यों के साथ नियमित समीक्षाएं करके 15वें वित्त आयोग के अनुदानों को समय पर जारी करने के लिए कदम उठाए हैं। संचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा निधियां जारी की जाती हैं। अकोले नगर पंचायत सहित सभी पात्र शहरी स्थानीय निकायों को निर्बाध अनुदान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को इन शर्तों को शीघ्र पूरा करने की सलाह दी गई है।

(ख): 15 वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 के अवार्ड पीरियड के लिए सभी राज्यों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कुल 70,051 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य अनुदान की सिफारिश की है। इसने राज्य-वार, वर्ष-वार और घटक-वार स्वास्थ्य अनुदान भी आवंटित किया है। महाराष्ट्र के संबंध में, 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 के अवार्ड पीरियड के लिए महाराष्ट्र राज्य को 7,067 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य अनुदान की सिफारिश की है। राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए राष्ट्र-स्तरीय समिति (एनएलसी) को भेजती है। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, एनएलसी द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर स्वास्थ्य अनुदान जारी करता है। 18.08.2025 तक, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए राज्य को 3,896.99 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य अनुदान जारी किया जा चुका है। जारी किए गए स्वास्थ्य अनुदान के उपयोग की निगरानी राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ): इस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनपीएमसी अनुदान की दूसरी किस्त के संबंध में अकोले नगर पंचायत के किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

अनुलग्नक

महाराष्ट्र में अकोले नगर पंचायत को निधि का आवंटन के संबंध में श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा पूछे गए दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4669 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

15वें वित्त आयोग द्वारा महाराष्ट्र राज्य को अनुशंसित शहरी स्थानीय निकाय अनुदानों की स्थिति

	एमपीसी*		**एनएमपीसी-प्रयोजन सहित**		**एनएमपीसी- प्रयोजन-मुक्त**		**कुल**	
वित्तीय वर्ष	**आवंटन**	**जारी**	**आवंटन**	**जारी**	**आवंटन**	**जारी**	**आवंटन**	**जारी**
2020-21	793.00	793.00	610.00	610.00	610.00	610.00	2,013.00	2,013.00
2021-22	799.00	799.00	553.20	553.20	368.80	368.80	1,721.00	1,721.00
2022-23	827.00	827.00	573.00	573.00	382.00	382.00	1,782.00	1,782.00
2023-24	875.00	0	606.00	296.83	404.00	197.89	1,885.00	494.72
2024-25	928.00	0	642.00	0	428.00	0	1,998.00	0
2025-26	946.00	0	654.60	0	436.40	0	2,037.00	0
कुल	**5,168.00**	**2,419.00**	**3,638.80**	**2,033.03**	**2,629.20**	**1,558.69**	**11,436.00**	**6,010.72**

* जल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए